राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पहला दिवस. [संख्या : 1

गुरुवार

3 फरवरी. 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.52 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम् मातरम् । वन्दे मातरम्।

शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।

फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।

सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।

सुखदाम् वरदाम् मातरम्।

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव, राजस्थान विधान सभा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अभिभाषण

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री जी.एल. चौधरी) : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

(श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा)

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

(1) राजस्थान वित्त विधेयक, 2004

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004

(3) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004

(4) राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

(5) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004

(6) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004

(7) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004

(8) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004

(9) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004

(10) राजस्थान राज्य सड़क निधि विधेयक, 2004

अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

अध्यादेश

राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं (1) राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2004 (वर्ष 2004 का अध्यादेश संख्या-7)

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2004

(2) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2004 (वर्ष 2004 का अध्यादेश संख्या-8) एवं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश-2004

(3) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2004 (वर्ष 2004 का अध्यादेश संख्या-9) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री युनुस खान ।

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अध्यादेश, 2004

श्री युनूस खान (युवा एवं खेलकूद मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं. राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अध्यादेश, 2004 (वर्ष 2004 का अध्यादेश संख्या-6) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2004

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (वर्ष 2004 का अध्यादेश संख्या-10) सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति

पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव

श्री अध्यक्ष : बारहवीं विधान सभा के इस तृतीय सत्र में आप सबक स्वागत करते हुए मुझे शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव भी पास करना पड़ रहा है।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव, राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री तथा इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हीरालाल देवपुरा, श्री अमरसिंह चौधरी, पूर्व मुख्य मंत्री, गुजरात, श्री नीलमणी राउतराय, पूर्व मुख्य मंत्री, उड़ीसा, श्री मीर कासिम, पूर्व मुख्य मंत्री, जम्मू कश्मीर, श्री नृपेन चक्रवर्ती, पूर्व मुख्य मंत्री, त्रिपुरा, इस विधान सभा के सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री रामसिंह विश्नोई, पूर्व सदस्य श्री रमजान खान, श्री कुबेर सिंह, श्रीमती मधु दाधीच, श्री नानूराम कंकरालिया, श्री उम्मेदीलाल जाटव, श्री पंकज पंचोली, श्री

(अध्यक्ष)

गंगासहाय, श्री उमराव सिंह गुर्जर, श्री अमृतलाल परमार, श्री हरसहाय मीणा, श्री मीठालाल मीणा, श्री माणकचन्द सोगाणी, श्री अमृतलाल गहलोत, डा. चन्द्रकला तथा हिन्द महासागर में आये विनाशकारी भूकम्प के कारण सुनामी लहरों से दक्षिण भारत तथा पूर्वी एशियाई देशो में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव

पूर्व प्रधानमंत्री श्री पामुलपति वेंकट नरसिंह राव का जन्म 28 जून, 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के वंगारा ग्राम में हुआ। आपने बी.एससी., एलएल.बी. व साहित्यरत्न की उपाधियां प्राप्त की।

श्री राव छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। नौवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप जून, 1991 से मई, 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। आप जून, 1980 से दिसम्बर, 1989 तक केन्द्रीय सरकार में विभिन्न विभागों के केबिनेट मंत्री रहे। श्री राव लोक सभा की लोक लेखा समिति के सभापति तथा विदेश मामलात मंत्रालय से सम्बन्धित सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। आप मई से दिसम्बर, 1996 तक कांग्रेस आई संसदीय दल के नेता रहे। अपने लम्बे संसदीय जीवन में श्री राव वर्ष 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप वर्ष 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। वर्ष 1962 से 1967 तथा 1968 से 1971 तक आप राज्य सरकार में विभिन्न विभागों के केबिनेट मंत्री रहे।

राजनैतिक प्रतिभा के धनी श्री राव कांग्रेस संगठन के कद्दावर नेता थे। श्री राव वर्ष 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। आप नवम्बर, 1984 से 1985 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात करने का श्रेय भी राव को ही जाता है। खाड़ी युद्ध के समय भारत में आयोजित गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सातवें शिखर सम्मेलन में भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। विदेशी मामलों पर अपनी विलक्षण पकड़ के कारण श्री राव अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ पाकिस्तान, [illegible] देश, ईरान, वियतनाम, तजानिया आदि [illegible] के साथ भारत के संयुक्त [illegible] के अध्यक्ष [illegible] रहे।

(श्री अध्यक्ष)

बहुआयामी व्यक्तित्व वाले श्री राव 17 भाषाएं पढ़ने व लिखने में समर्थ थे। राजनीति से अवकाश ग्रहण करने के बाद आपने अपनी आत्मकथा के रूप में 'इन्साइडर' पुस्तक लिखी जो काफी चर्चित रही। आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के तेलुगु उपन्यास 'वेई पाडागालु' का हिन्दी अनुवाद 'सहस्र फन' एवं स्व. श्री हरिनारायण आपटे के प्रसिद्ध मराठी उपन्यास 'पन लक्षत कोण घेटों' का तेलुगु में 'अबला जिवितम' के नाम से अनुवाद किया। साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में रूचि रखने वाले श्री राव को कई रचनाएं विभिन्न भाषाओं की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव का दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक श्री हीरालाल देवपुरा

पूर्व विधायक एवं मुख्य मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा का जन्म 12 अक्टूबर, 1925 को कुम्भलगढ़ तहसील के केलवाड़ा ग्राम में हुआ। आपने बी.एससी., एवं एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हीरालाल देवपुरा, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नौवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए कुम्भलगढ़ निर्वाचित क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप 23 फरवरी, 1985 से 10 मार्च, 1985 राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्री तथा 20 मार्च, 1985 से 16 अक्टूबर, 1985 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्री देवपुरा सितम्बर, 1967 से जुलाई, 1971 तक राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहे। इसके पश्चात आप नवम्बर, 1973 से अप्रेल, 1977, फरवरी, 1981 से जुलाई, 1981, अक्टूबर, 1982 से फरवरी, 1985, अक्टूबर, 1985 से जनवरी, 1988 तथा दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों के केबिनेट मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे।

सरल स्वभाव सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री देवपुरा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के कार्यकाल के दौरान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। प्रारम्भ

(श्री अध्यक्ष)

से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री देवपुरा उदयपुर जिला कांगेस कमेटी के मंत्री तथा अध्यक्ष भी रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व अध्यक्ष भी रहे। बार एसोसियेशन, राजसमन्द के अध्यक्ष रहे श्री देवपुरा अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री हीरालाल देवपुरा का दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री अमर सिंह चौधरी, पूर्व मुख्य मंत्री, गुजरात

गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अमर सिंह चौधरी का जन्म 31 जुलाई, 1941 को गुजरात के सूरत जिले के दोलवन ग्राम में हुआ। आपने बी.ई. (सिविल) की उपाधि प्रदान की।

श्री अमर सिंह चौधरी चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं गुजरात विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री चौधरी मार्च, 1972 से जुलाई, 1973 तक गुजरात सरकार में उप मंत्री रहे। आप जुलाई, 1973 से फरवरी, 1974, दिसम्बर, 1976 से अप्रेल, 1977 जून, 1980 से जुलाई, 1985 तक गुजरात सरकार में विभिन्न विभागों के केबिनेट मंत्री रहे। श्री चौधरी जुलाई, 1985 से दिसम्बर, 1989 तक गुजरात के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन है। विधान सभा का दीर्घ अनुभव रखने वाले श्री चौधरी वर्तमान ग्यारहवीं गुजरात विधान सभा में दिसम्बर, 2002 से प्रतिपक्ष के नेता थे। इससे पूर्व भी आप मार्च, 1985 से दिसम्बर, 1996 तथा मार्च, 1998 से नवम्बर, 2001 तक नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन रहे।

प्रारम्भ से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री चौधरी आठ वर्षों तक सूरत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा सात वर्षों तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। आप विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष भी रहे।

श्री अमर सिंह चौधरी का दिनांक 15 अगस्त, 2004 को निधन हो गया।

श्री नीलमणी राउतराय, पूर्व मुख्य मंत्री, उड़ीसा

उड़ीसा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नीलमणी राउतराय का जन्म 24 मई, 1920 को उड़ीसा के भद्रक जिले के मुकुन्दपुर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री राउतराय उड़ीसा विधान सभा में वर्ष 1948 से 1967, वर्ष 1971 से 1973 तथा वर्ष 1977 से 1980 तक सोरो, धामनगर, चन्द्रबाली तथा बासुदेवपुर निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक रहे। आप वर्ष 1952 से 1957 तक राज्य सरकार में उप मंत्री, वर्ष 1957 से 1967 एवं 1971 से 1973 तक मंत्री, वर्ष 1963 से 1967 एवं वर्ष 1972 से 1973 तक उप मुख्य मंत्री तथा वर्ष 1977 से 1980 तक राज्य के मुख्य मंत्री रहे। श्री राउतराय वर्ष 1976 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1989 में पुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए।

लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1989 से 1990 तक केन्द्रीय सरकार में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, रोजगार तथा वन विभागों के मंत्री रहे।

छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े श्री राउतराय ने "भारत छोड़ो आन्दोलन" में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई बार जेल भी गये। पत्रकारिता में आपकी विशेष रूचि थी। आप उड़ीसा दैनिक 'प्रजातंत्र' के सम्पादक रहे। उड़िया भाषा में लिखी आपकी आत्मकथा 'स्मृति और अनुभूति' शीर्षक से प्रकाशित हुई है।

श्री नीलमणी राउतराय का दिनांक 4 अक्टूबर, 2004 को निधन हो गया।

श्री सईद मीर कासिम, पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री सईद मीर कासिम का जन्म अगस्त, 1921 में अनन्तगण जिले के दोरू ग्राम में हुआ।

श्री मीर कासिम जम्मू एवं कश्मीर हेतु गठित संविधान सभा के सदस्य रहे। विधान सभा का दीर्घ अनुभव रखने वाले श्री कासिम वर्ष 1953-57, 1961-63 तथा 1964-65 में राज्य सरकार में केबिनेट मंत्री रहे। आप वर्ष 1972 से 1975 तक जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। वर्ष 1975 के पश्चात कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की वापसी पर आपको श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में गठित केन्द्रीय सरकार में केबिनेट मंत्री बनाया गया। राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक श्री कासिम ने जनहित में नि:स्वार्थ भाव से कार्य कर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कासिम जम्मू एवं कश्मीर में कांग्रेस के संस्थापक रहे। आप कांग्रेस संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे। छात्र जीवन से ही आजादी के विभिन्न आन्दोलनों से सम्बद्ध रहे श्री कासिम की संविधान के प्रति गहरी आस्था थी। आपकी 'माई लाइफ-माई टाइम' पुस्तक प्रकाशित हुई।

श्री मीर कासिम का दिनांक 12 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री नृपेन चक्रवर्ती, पूर्व मुख्य मंत्री, त्रिपुरा

त्रिपुरा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नृपेन चक्रवर्ती का जन्म 4 अप्रेल, 1905 को बांग्लादेश के ढाका जिले के बिक्रमपुर में हुआ। आपने ढाका विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम.ए. की उपाधि प्राप्त कीं।

श्री नृपेन चक्रवर्ती त्रिपुरा विधान सभा के लिए वर्ष 1957, 1962, 1972, 1977, 1983, 1988 व 1993 में विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1978 से 1988 तक त्रिपुरा राज्य के मुख्य मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप मार्च, 1972 से मार्च, 1977 तथा फरवरी, 1988 से फरवरी, 1992 तक विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे।

श्री चक्रवर्ती गांधी दर्शन से प्रेरित होकर देश के स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ गये और वर्ष 1930 में दांडी मार्च में भाग लिया। त्रिपुरा में वामपंथी आन्दोलन के संस्थापक रहे श्री चक्रवर्ती ने अनेक वामपंथी आन्दोलनों का नेतृत्व किया और विभिन्न आन्दोलनों के दौरान कई बार जेल यात्रा की। आप वर्ष 1936 में पार्टी के बंगाल प्रान्त के संयुक्त सचिव, वर्ष 1943 में राज्य इकाई के सचिव तथा वर्ष 1972 में माकपा केन्द्रीय समिति के सदस्य बनाये गये। आप 1985 में माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे।

सादगी पसन्द चक्रवर्ती आजीवन अविवाहित रहते हुए आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। आप आदिवासियों में "जगत दा" के नाम से लोकप्रिय थे। साहित्य, दर्शन, अर्थशास्त्र और इतिहास में रूचि रखने वाले श्री चक्रवर्ती आनन्द बाजार पत्रिका के उप सम्पादक रहे। आप कम्युनिस्ट पार्टी के दैनिक पत्र "स्वाधीनता" के सम्पादक मण्डल के सदस्य भी रहे।

श्री नृपेन चक्रवर्ती का दिनांक 25 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामसिंह विश्नोई, पूर्व मंत्री और सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व मंत्री और विधायक श्री रामसिंह विश्नोई का जन्म 20 अक्टूबर, 1935 को जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील के तिलवासनी ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्व विद्यालय से बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामसिंह विश्नोई पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं तथा वर्तमान बारहवीं राजस्थान विधान सभा में लूणी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप अक्टूबर, 1985 से फरवरी, 1986 तक राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, जून, 1989 से मार्च, 1990 तक राजस्थान सरकार के केबिनेट मंत्री रहे। ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप फरवरी, 1998 से अप्रेल, 2002 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा वर्ष 2003 में कृषि विभाग के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' राजकीय उपक्रम समिति तथा नियम समिति के सदस्य रहे। आप विशेषाधिकार समिति तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे।

श्री विश्नोई अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत, तिवासनी के सरपंच, पंचायत समिति, बिलाड़ा के प्रधान, प्राथमिक भूमि विकास बैंक लिमिटेड, बिलाड़ा के अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर तथा दी जोधपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के निदेशक, राजस्थान वन्य जीव सलाहकार मण्डल के सदस्य तथा राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के चेयरमैन रहे। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री विश्नोई खेजड़ली शहीदी एवं पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, नोखा के प्रधान भी रहे।

श्री विश्नोई एक हंसमुख, विनोदप्रिय और दबंग राजनेता के रूप में जाने जाते थे। विधान सभा में आप अपनी बात शिद्दत से रखते थे। आपके निधन से राजस्थान में एक किसान नेता तथा कुशल प्रशासक की कमी हो गई है। विधान सभा में श्री विश्नोई की कमी लम्बे समय तक खलती रहेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई का दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रमजान खां, पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री रमजान खां का जन्म 3 अक्टूबर, 1934 को अजमेर जिले के जगमालपुरा ग्राम में हुआ। आपने ब्यावर से हायर सैकण्डरी की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रमज़ान खां आठवीं, नौवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। आप नौवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक भेड़ एवं ऊन, मत्स्य पालन, वक्फ, पुनर्वास तथा सैनिक कल्याण विभागों के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1978 से 1981 तक ग्राम पंचायत, नून्दरी के सरपंच तथा वर्ष 1981 से 1985 तक पंचायत समिति जवाजा के प्रधान रहे। आप वर्ष 1974 में केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर के संचालक तथा वर्ष 1988 से 1991 तक बैंक के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय सेना में 12 वर्ष तक कार्यरत रहे श्री रमजान खां समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री रमज़ान खां का दिनांक 5 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री कुबेर सिंह, पूर्व सदस्य राजस्थान विधानसभा

पूर्व विधायक श्री कुबेर सिंह का जन्म 2 फरवरी, 1953 को उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के खाटी कमदी मादड़ी ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री कुबेर सिंह आठवीं, नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में फसिया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, गृह समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

आप वर्ष 1981 से 1985 तक ग्राम पंचायत, मादड़ी के सरपंच रहे। समाज सेवा में रूचि रखने वाले श्री कुबेर सिंह अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण तथा आदिवासियों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री कुबेर सिंह का दिनांक 25 जनवरी, 2005 को निधन हो गया।

श्रीमती मधु दाधीच, पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्रीमती मधु दाधीच का जन्म 5 अगस्त, 1952 को मध्य प्रदेश के नीमच कस्बे हुआ। आपने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से एम.ए. (अर्थशास्त्र) की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती मधु दाधीच ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 2000 में हुए उपचुनाव में निम्बाहेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की विधायिका निर्वाचित हुई। राजकीय उपक्रम समिति की सदस्य रही श्रीमती दाधीच विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रही।

श्रीमती दाधीच महात्मा गांधी महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में व्याख्याता एवं प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की सीनेट की सदस्य भी रही। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रही श्रीमती दाधीच जिला भारत सेवक समाज, चित्तौडगढ़ की अध्यक्ष, राजस्थान वूमन वर्कर्स कमेटी (इंटक) की सभापति, सेन्ट्रल वूमन वर्कर्स कमेटी (इंटक) की सचिव तथा राजस्थान इंटक की कार्यकारिणी समिति की सदस्य रही। श्रीमती दाधीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की सचिव रही। आपकी पत्रकारिता में विशेष रूचि थी। आप 'प्रगति' पत्रिका की मुख्य सम्पादक भी रही।

श्रीमती मधु दाधीच का एक सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने के बाद दिनांक 21 सितम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री नानूराम कंकरालिया, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री नानूराम कंकरालिया का जन्म 1 जनवरी 1928 को जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के ग्राम रघुनन्दनपुरा में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

(श्री अध्यक्ष)

श्री नानूराम कंकरालिया ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्रश्न एवं सदर्भ समिति के सदस्य रहे।

श्री कंकरालिया अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत, मुण्डोली तथा भोजपुर कलां के सरपंच रहे। आप भैंसलाना न्याय पंचायत तथा कृषि उपज मण्डी, रेनवाल के अध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले भी कंकरालिया ब्लाक कांग्रेस कमेटी, फुलेरा के अध्यक्ष भी रहे।

श्री नानूराम कंकरालिया का दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री उम्मेदीलाल जाटव, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री उम्मेदीलाल जाटव का जन्म 6 जनवरी, 1930 को सवाईमाधोपुर जिले के काचरोली ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री उम्मेदीलाल दूसरी, पांचवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में विधायक रहे। आपने दूसरी राजस्थान विधान सभा में करौली निर्वाचन क्षेत्र तथा पांचवीं एवं आठवीं राजस्थान विधान सभा में हिण्डौन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप दूसरी तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस पार्टी तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

भारतीय सेना में नायब तहसीलदार रहे श्री जाटव सवाईमाधोपुर जिला जाटव समाज सुधार समिति के अध्यक्ष भी रहे।

श्री उम्मेदीलाल जाटव का दिनांक 26 सितम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री पंकज पंचौली, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री पंकज पंचौली का जन्म 8 अगस्त, 1935 को चित्तौडगढ़ जिले के बेगू कस्बे में हुआ। आपने बी.एससी., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री पंकज पंचौली, आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिए बेगूं निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1985 से 1987 तक विधान सभा की सभापति तालिका के सदस्य रहे श्री पंचौली सितम्बर से दिसम्बर, 1989 तक सरकारी उप मुख्य सचेतक तथा दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 तक सरकारी मुख्य सचेतक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य रहे।

वर्ष 1964-67 में चित्तौडगढ़ नगरपालिका के उपाध्यक्ष रहे श्री पंचौली नगर विकास न्यास, चित्तौडगढ़ जिला भूमि विकास बैंक तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, चित्तौडगढ़ के अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल के सदस्य भी रहे। आप राजस्थान भूमि विकास बैंक, एपेक्स को-आपरेटिव बैंक तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निदेशक मण्डल के सदस्य भी रहे। श्री पंचोली वर्ष 1969-74 में रेल्वे उपभोक्ता सलाहकार समिति, वर्ष 1986-87 में जिला कारागृहों की सलाहकार समिति के सदस्य तथा वर्ष 1972-77 में राष्ट्रवादी सहकार संघ, नई दिल्ली के सदस्य रहे।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री पंचौली चित्तौडगढ़ एवं उदयपुर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, चित्तौडगढ के अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के महासचिव सहित संगठन में अनेक पदों पर रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री पंचौली अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री पंकज पंचौली का दिनांक 20 अगस्त, 2004 को निधन हो गया

श्री गंगासहाय, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधानसभा

पूर्व विधायक श्री गंगासहाय का जन्म 20 दिसम्बर, 1928 को अलवर में हुआ। आपने बी.ए., बी.एस.सी. (नेचुरोपैथी) एम.बी.बी.एस. तथा एच.एम.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गंगासहाय चौथी एवं छठी राजस्थान विधान सभा के लिए कठूमर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आपने चौथी विधान सभा में भारतीय जनसंघ तथा छठी विधान सभा में जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा में आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे तथा वर्ष 1979-80 में विधान सभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति भी रहे।

होम्योपैथी के चिकित्सक रहे श्री गंगासहाय वर्ष 1951 में समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक बने। आपने वर्ष 1952 में इस पद से त्यागपत्र देकर भीनास हाई स्कूल में अध्यापन किया। आप वर्ष 1955 में महालेखाकार, राजस्थान कार्यालय में आडिटर, तत्पश्चात वित्त विभाग में वरिष्ठ लिपिक भी रहे। आप जयपुर जिला बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के व्यवस्थापक तथा जन सेवा आयोग के प्रभारी अधिकारी रहे।

लोगों के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री गंगासहाय राजस्थान कोली समाज के प्रदेश मंत्री रहे। आप हरिजन सेवक संघ से भी सम्बद्ध रहे। स्वयं सेवक रहे श्री गंगासहाय वर्ष 1969 में प्रदेश जनसंघ के उपाध्यक्ष तथा वर्ष 1975 में अलवर जिला जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री गंगासहाय का दिनांक 30 सितम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री उमराव सिंह गुर्जर, पूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री उमराव सिंह गुर्जर का जन्म 1 अक्टूबर, 1939 को सवाई माधोपुर जिले के हिण्डौन सिटी कस्बे में हुआ। आपने बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री उमराव सिंह गुर्जर वर्ष 1977 मे छठी राजस्थान विधान सभा के लिये महुआ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

आपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1960 में टोडाभीम पंचायत समिति के सरपंच तथा नगर सुधार न्यास के सदस्य रहे। किसानों के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे श्री गुर्जर हिण्डौन सिटी क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री उमराव सिंह गुर्जर का दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अमृतलाल परमार, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

विधायक श्री अमृतलाल परमार का जन्म 5 नवम्बर, 1938 को डूंगरपुर जिले के ग्राम फलोज फला मसानिया में हुआ। आपने विशारद तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री अमृतलाल परमार छठी राजस्थान विधान सभा के लिए डूंगरपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

श्री परमार वर्ष 1959 में पंचायत समिति, डूंगरपुर के प्रथम निर्वाचित प्रधान बने। आप इस पद पर वर्ष 1965 में पुनः चुने गये। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री परमार आदिवासी समाज के उत्थान और समाज में व्याप्त मद्यपान एवं दास प्रथा जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे। आपने सेवा ग्राम आन्दोलन का नेतृत्व भी किया।

श्री अमृतलाल परमार का दिनांक 3 नवम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री हरसहाय मीणा, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री हरसहाय मीणा का जन्म 5 सितम्बर, 1940 को राहूवास ग्राम मे हुआ। आपने कक्षा पांच तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री हरसहाय मीणा छठी राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1977 में लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयंत्नशील रहे।

श्री हरसहाय मीणा का दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री मीठालाल मीणा, पूर्व सांसद एवं सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व सांसद एवं विधायक श्री मीठालाल मीणा का जन्म 5 नवम्बर, 1938 को सवाई माधोपुर जिले के बामनवास कस्बे में हुआ। आपने बी.ए. (आनर्स), प्रभाकर तथा साहित्यरत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मीठालाल मीणा, पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप वर्ष 1972 में स्वतंत्र पार्टी विधायक दल के सचेतक तथा पुस्तकालय समिति के सभापति रहे। श्री मीणा चौथी लोक सभा (1967-71) में सवाईमाधोपुर संसदीय क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के सांसद भी रहे। आप भारत सरकार द्वारा गठित पिछड़ी जाति सुधार आयोग तथा केन्द्रीय बिक्री कर जांच आयोग के सदस्य रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, राष्ट्रीय रेल्वे उपभोक्ता सलाहकारी समिति, पश्चिमी रेल्वे संसदीय सलाहकार समिति, कृषि मंत्रालय सम्बन्धी संसदीय सलाहकार समिति, बीकानेर मण्डल रेल्वे उपभोक्ता सलाहकार समिति तथा जयपुर मण्डल रेल्वे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

आप जिला परिषद, जयपुर तथा सवाई माधोपुर के सदस्य भी रहे। राजस्थान स्वतंत्र पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे श्री मीणा स्वतंत्र पार्टी, सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष भी रहे। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे श्री मीणा अखिल भारतीय मीणा जाति संघ के कोषाध्यक्ष भी रहे।

श्री मीठालाल मीणा का दिनांक 11 अगस्त, 2004 को निधन हो गया।

श्री माणकचन्द सौगाणी, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री माणकचन्द सौगाणी का जन्म 29 दिसम्बर, 1914 को अजमेर में हुआ। आपने बी.काम तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री माणकचन्द सौगाणी पांचवी राजस्थान विधान सभा के लिए अजमेर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे।

अजमेर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे श्री सौगाणी टैक्स बार एसोसियेशन के अध्यक्ष, टैक्स एडवाइजरी बोर्ड, राजस्थान के सदस्य तथा अजमेर क्लब एवं फ्रीमेसन्स लाज के सदस्य भी रहे। आप रोटरी क्लब, अजमेर तथा जैन औषधालय, अजमेर के अध्यक्ष भी रहे। खेलकूद में रूचि रखने वाले श्री सौगाणी वालीबाल एसोसिएशन तथा हाकी एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री माणकचन्द सौगाणी का दिनांक 29 नवम्बर, 2004 को निधन हो गया।

श्री अमृतलाल गहलोत, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक श्री अमृतलाल गहलोत का जन्म 15 दिसम्बर, 1924 को जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में हुआ। आपने बी.एस.सी. की उपाधि प्राप्त कीं।

श्री अमृतलाल गहलोत पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

कृषि उपज मंडी समिति, जोधुपर के अध्यक्ष रहे श्री गहलोत जोधपुर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के अध्यक्ष तथा जोधपुर विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री गहलोत अपने सार्वजनिक जीवन में जोधपुर जिला भारत सेवक समाज के अध्यक्ष तथा इण्डियन रेडक्रास सोसायटी, जोधपुर के अध्यक्ष रहे। आपने शिक्षा तथा समाजोत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री अमृतलाल गहलोत का दिनांक 27 अगस्त, 2004 को निधन हो गया।

डा. चन्द्रकला, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधायक, डा. चन्द्रकला का जन्म 5 जून, 1921 को उत्तर प्रदेश के जोनपुर जिले के तेजगढ़ ग्राम में हुआ। आपने एम.ए., डाक्टर आफ फिलासफी तथा साहित्यरत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

डा. चन्द्रकला दूसरी राजस्थान विधान सभा के लिए जयपुर के किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति की सदस्य रहीं।

सर्वोदय, भूदान एवं खादी आन्दोलन से प्रेरित रही डा. चन्द्रकला महिला उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं। समाज के नवनिर्माण में

(श्री अध्यक्ष)

महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपने अनेक शिविर एवं सम्मेलन आयोजित किये। लेखन एवं अध्ययन में रूचि रखने वाली डा. चन्द्रकला के अनेक लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

डा. चन्द्रकला का दिनांक 23 जनवरी, 2005 को निधन हो गया।

सुनामी से मारे गये लोग

हिन्द महासागर में रविवार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को प्रात: करीब 6:30 बजे विनाशकारी भूकम्प के कारण उठी तूफानी लहरों ने भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भयंकर तबाही मचाई। रिक्टर पैमाने पर 8.5 तीव्रता वाले इस भूकम्प का केन्द्र हिन्द महासागर में था। इससे उत्पन्न 35-40 फीट उंची सुनामी लहरों से दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार एवं पांडीचेरी के तटीय शहरों में जन-धन की भारी हानि हुई है। भारत में हजारों की संख्या में लोग मारे गये तथा बडी संख्या में लोग लापता हो गये। इसके अलावा श्रीलंका, इण्डोनेशिया, थाईलेण्ड, मलेशिया, म्यांमार, सोमालिया, मालदीव में भी तूफानी लहरों के कहर से लाखों की संख्या में लोग काल-कवलित हो गये और धन की भी हानि हुई।

मैं इस प्राकृतिक आपदा से मारे गये लोगों तथा दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने 2 मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही 14 तारीख, सोमवार तक 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.28 बजे, सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2005 के 11.00 बजे तक लिए स्थगित हुई।)

राजस्थान के महामहिम राज्यपाल

श्रीमती प्रतिभा पाटील

द्वारा

बारहवीं राजस्थान विधान सभा के

तृतीय सत्र

में

गुरुवार, 3 फरवरी, 2005 को दिया गया

अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

1. बारहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। अभी हाल ही में हमने 56वां गणतंत्र दिवस गरिमापूर्ण तरीके से मनाया है। जिन ज्ञात एवं अज्ञात शहीदों ने स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी हैं तथा इस आजादी को अक्षुण रखने हेतु बाद में जिन वीरों ने मातृभूमि पर जान न्यौछावर की उन सभी को मैं शत-शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

2. दक्षिणी भारत के तटीय प्रदेशों में समुद्री भूकम्प के कारण प्रलयकारी सुनामी लहरों से आयी प्राकृतिक आपदा से जन-धन की भारी क्षति हम सब के लिए दु:ख एवं चिन्ता का विषय है। प्राकृतिक आपदा से पीडित परिवारों की सहायता का कार्य एक अहम् मानवीय दायित्व है। देश के प्रत्येक जागरूक की तरह हमारा राज्य भी इसमें पीछे नहीं रहा है। मुख्य मंत्री सहायता-कोष से तमिलनाडु राज्य को रू. दो करोड़ की सहायता एवं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रू. एक करोड़ की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगणों ने अपना एक माह का वेतन तथा राजस्थान राज्य के समस्त कर्मचारियों ने भी एक दिन का वेतन सहायतार्थ दिया है। 4

जनवरी, 2005 को राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में 51 चिकित्सकों का एक दल आवश्यक औषधि सहित सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ भेजा गया। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन से भी दूध के 6 ट्रकों में 51,000 लीटर टेट्रा पैक भेजे गये। सुनामी आपदा में राजस्थान के मृत सात व्यक्तियों के निकटस्थ व्यक्तियों/आश्रितों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रुपये की सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की स्वयंसेवी संस्थाएं एवं दानदाता भी इस दु:खद घड़ी में पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं।

3. हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही राजस्थान को समग्र रूप से विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना की तथा उसे मूर्तरूप प्रदान करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छह प्राथमिकताएं जैसे दरिद्रता, कुपोषण एवं भूख से मुक्ति, अशक्त एवं महिलाओं को संबल, मानव संसाधन विकास व आधारभूत सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि रोजगार-सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन व राजकोषीय सुधार तथा आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास के रूप में निर्धारित की गई।

4. सरकार के गठन के पश्चात हुए लोकसभा के चुनाव, विधान सभा उपचुनाव तथा स्थानीय निकाय के चुनावों में राजस्थान की जनता ने सरकार को प्रचण्ड बहुमत देकर सरकार की प्रगतिशील नीतियों का समर्थन दिया है।

5. सरकार ने सत्ता में आते ही लक्ष्य निर्धारित विकास को मूर्त रूप देने हेतु 100 दिवसीय कार्य योजना सफलतापूर्वक सम्पादित की तथा इसके पश्चात चालू वर्ष के लिए 365 दिवसीय कार्य योजना मे महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गो, कर्मचारियों एवं युवा वर्गों के कल्याणार्थ योजनाओ का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

6 .कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार के राजस्व अर्जन तथा व्यय नियंत्रण के क्षेत्र में किये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप राजस्व घाटे में हुई

आशातीत कमी के कारण केन्द्र सरकार से राजकोषीय सुधार सुविधा (Fiscal Reforms Facility) के अन्तर्गत 59 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। कर प्रणाली के सरलीकरण व सुसंगतिकरण तथा बेहतर कर प्रबंधन के परिणामस्वरूप राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों में अप्रेल से दिसम्बर, 2004 की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋणों की अदला-बदली (Debt Swap) की ओर विशेष ध्यान दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की देयता में कमी लाकर राजस्व व्यय को नियंत्रित किया गया है। यह कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि वर्ष 2004-05 में राज्य को अभी तक ओवरड्राफ्ट की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा।

7 .राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 का आकार वर्तमान मूल्यों पर 31,831.75 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया था। इस योजना के पहले तीन वर्षों के व्यय की गति को देखते हुए इस योजना की पूरी राशि का उपयोग करना राज्य के लिए संभव नहीं था। परंतु यह हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि हमने न केवल वर्ष 2003-04 की योजना का आकार संशोधित कर बढ़ाया, बल्कि संशोधित आकार से अधिक व्यय किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 की संशोधित योजना भी 6922.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत करायी गयी है। वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना 8350 करोड़ रुपये की अनुमोदित की गई है जो वर्ष 2003-04 की प्रारम्भिक योजना की लगभग दुगुनी है। इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार स्वीकृत योजना से भी एक हजार करोड़ रुपये अधिक होना संभावित है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय उदारीकरण व वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, सामाजिक एवं आर्थिक-आधारभूत संरचना के सृजन औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा दीर्घकालीन निवेश इत्यादि के लिए रणनीतिक योजना अपनाने के संबंध में एवं राज्य सरकार को आर्थिक नीतियों के संबंध में सुझाव देने के लिए आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद का गठन फरवरी, 2004 में किया गया। उर्जा, जल एवं सड़क क्षेत्र में सुझाव देने के लिए विषय विशेषज्ञों की अध्यक्षता में कार्य समूह गठित किये गये

हैं, जो राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र से वित्तीय संसाधन जुटाने में सहयोग करेंगे।

9 .जिला कलक्टर्स से प्राप्त खरीफ फसल, 2061 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 25 जिला के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले 18,613 गांवो को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इन जिलों में 1 दिसम्बर, 2004 से राहत कार्य 10 दिन के रोटेशन के आधार पर प्रारंभ किये गये। न्यूनतम मजदूरी दर 60 रुपये से बढ़ाकर 73 रुपये प्रतिदिन कर टास्क के आधार पर राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है। भारत सरकार से राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की मजदूरी के लिए 2 लाख मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त हुआ है जिसे प्रभावित जिलों को आवंटित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 4.99 लाख मैट्रिक टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन का निर्णय भी भारत सरकार द्वारा लिया जा चुका है।

10. राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। इस वर्ष राज्य में असामान्य वर्षा एवं अनावृष्टि की स्थिति रही। इसके कारण खरीफ वर्ष 2004 में 114.48 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ही बुवाई हो सकी जबकि पिछले वर्ष सन् 2003 में 147.57 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी।

11. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया गया। उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की नीति पुनः निर्धारित की गई और इनके खुलने का समय निश्चित किया गया। राज्य में किसी भी व्यक्ति की असहाय स्थिति में भूख से मृत्यु नहीं हो, इसके लिए फूड स्टेम्प योजना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक पंचायत को फूड स्टेम्प उपलब्ध करा कर भूख से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना व बी.पी.एल. राशन कार्ड धारकों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न को लक्षित समूह तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'राशन टिकिट' योजना लागू कर दी गई है।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने व ग्रामीण क्षेत्रों का त्वरित विकास करने के उद्देश्य से ग्रामीण

विकास विभाग के माध्यम से वर्तमान मे केन्द्र व राज्य प्रवर्तित 16 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं पर इस वर्ष नवम्बर, 2004 तक 457.27 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जो कुल प्राप्त राशि का 102.67 प्रतिशत है।

13. मरू विकास कार्यक्रम, मरू प्रसार रोक परियोजना, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय जल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न जलग्रहण योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर, 2004 तक 120.26 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। राज्य के सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में माह नवम्बर, 2004 तक 17.02 करोड़ रुपये के व्यय से विभिन्न गतिविधियों के 170 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

14. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में वर्ष 2004-05 में 304.38 लाख रुपये पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये तथा 5,962 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया है। आगामी वर्ष में 20 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान है। 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के अन्तर्गत चयनित जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ में 37.50 करोड़ रुपये के आवंटन के विरूद्ध 37.50 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये जाकर 31 करोड़ 6 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

15. राज्य के गरीब नागरिकों के लिए घरौंदा नाम से एक अनुपम योजना 13 शहरों और कस्बों में प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन या मजदूरी कमाने वाले व्यक्ति भी मात्र 18 रुपये प्रति दिन की बचत पर 20 वर्षीय अवधि की मासिक किस्तों पर मकान खरीदने में सक्षम होंगे।

16. मिशन बसेरा के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित समस्त कच्ची बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास या नियमन की कार्यवाही एक टास्क के रूप में हाथ में ली गई है। मिशन बसेरा के

अंतर्गत 10 रुपये रोज की किस्त पर 2000 आवास गरीबों को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

17 . किसानों को कृषिगत कार्यों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'किसान जीवन कल्याण योजना' क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि अथवा कृषि विपणन का कार्य करते हुए दर्घटनाग्रस्त कृषकों व खेतिहर मजदूरों को अब बढ़ी हुई दर पर सहायता प्रदान की जाती है। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर अब परिवार वालों को 30 हजार के बजाय 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

18. राज्य सरकार विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित गिरल परियोजना पर कार्य द्रुत गति से चल रहा है तथा मार्च, 2006 तक इस परियोजना को चालू करने का लक्ष्य है। धौलपुर में भी 330 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। राज्य में सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। रबी की फसल हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 7 घंटे के ब्लाक में तीन फेज एवं इसके अतिरिक्त सायं 6 से 10 बजे तक तथा प्रातः 2 घंटे घरेलू उपयोग हेतु सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

19. कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई कृषि कनेक्शन नीति सितम्बर, 2004 में लागू की गई है। कृषि कनेक्शन के लंबित 1.73 लाख आवेदकों को आगामी 3 वर्षों में मांग पत्र देने व कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2004-05 में 40 हजार कृषि कनेक्शन देने का रेकार्ड लक्ष्य रखा गया है।

20. विद्युत छीजत रोकने एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हेतु 600 ग्रामीण फीडरों के रेनोवेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें से 300 फीडरों का कार्य चालू वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम हेतु विद्युत निगमों के योजना मद में अलग से 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

21. किसानों को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से देने हेतु जले हुए ट्रांसफार्मर्स को भी तीन दिवस में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गत एक वर्ष में 230 पावर ट्रांसफार्मर तथा 47,799 जले हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर समय सीमा में बदले गये।

22. प्रसारण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने व बढ़ती विद्युत मांग की आपूर्ति हेतु चालू वर्ष में 400 के.वी. के दो सब-स्टेशन क्रमशः मेड़ता एवं जोधपुर में चालू किये जा चुके हैं। 220 के.वी. के 4 सब-स्टेशन क्रमशः जालोर, अमरसागर, फलौदी व सुजानगढ़ में बनाने का कार्य द्रुत गति से चालू है। 132 के.वी. के 8 नए सब-स्टेशन बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष में 5 सब-स्टेशन क्रमशः चान्दन, मालाखेड़ा, तूंगा, गुढ़ामालानी एवं ओसियां को चालू किया जा चुका है एवं तीन सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 33 के.वी. के 155 सब-स्टेशन बनाने का कार्य प्रगति पर है, इनमें से अब तक 60 सब-स्टेशन चालू किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 400 के.वी. की 333 कि.मी., 220 के.वी. की 49 कि.मी., 132 के.वी. की 60 कि.मी. तथा 33 के.वी. की 707 कि.मी. लाइन चालू की जा चुकी है।

23. सरकार राज्य में सड़कतंत्र के सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण तथा गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

24. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 एवं उससे अधिक की आबादी के सभी गांवों को सन् 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ा जाना है। इस योजना में अब तक सन् 2001 की जनगणनानुसार 877 से अधिक आबादी के 4027 गांवों को सड़कों से जोडने हेतु 1740.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिससे 14,009 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया जाना है। इन स्वीकृतियों के विरूद्ध 995.16 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जिससे 9205 कि.मी. सड़कों का निर्माण कर 2643 गांवो को सड़कों से जोड़ा गया है। गत एक वर्ष में 5068 कि.मी. डामर की सड़कों का निर्माण कर 1668 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया।

25. केन्द्रीय सड़क निधि में गत एक वर्ष में 86.21 करोड़ रुपये का व्यय कर 1417 कि.मी. लंबाई के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किया गया।

26. महत्वाकांक्षी मिसिंग लिंक्स परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के अंत तक 287.79 करोड रुपये की लागत से 2715 कि.मी. लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 210.74 करोड़ रुपये का व्यय कर 1960 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया है।

27. 1166 कि.मी. लम्बाई के चार राज्य उच्च मार्गों के विकास हेतु लगभग 1500 करोड़ रुपये की लागत से एक वृहद परियोजना प्रारंभ की गई है। इस हेतु 50:50 प्रतिशत भागीदारी का एक नवीन संयुक्त उपक्रम राजस्थान सरकार व आई.एल.एफ.एस. के मध्य स्थापित किया गया है।

28 .राज्य सरकार द्वारा 825 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण सड़कों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ की गई है। आगामी 2 वर्षों में 2500 कि.मी. मैटल सड़कों को डामर की सड़कों में क्रमोन्नत करने, 12,000 कि.मी. सड़कों के बेकलॉग का नवीनीकरण करने व महत्वपूर्ण नवीन सड़कों के निर्माण का कार्य किया जायेगा। इस परियोजना के कार्य दिसम्बर, 2004 से प्रारंभ कर दिये गये हैं। बी.ओ.टी. परियोजना के अंतर्गत 127.77 करोड़ रुपये की लागत की 6 परियोजनाओं को निजी उद्यमियों को आवंटित किया गया व 32.19 करोड़ रुपये की लागत की 2 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया।

29. पिछले दस-बारह वर्षों से सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि का लगभग 40 करोड़ रुपये का मुआवजा बकाया चल रहा था। वर्ष 2004-05 में 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

30. नवीन सड़कों का रखरखाव 5 वर्ष तक व नवीनीकृत तथा क्रमोन्नत सड़कों का रखरखाव 2 से 3 वर्ष तक सम्बन्धित संवेदक द्वारा ही कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इन कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक दो जिलों में एक नवीन गुण नियंत्रण खंड स्थापित किया गया है।

31. प्रदेश में राज्य सरकार उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग हेतु योजनाएं बनाकर सिंचाई सुविधा में विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष

2004-05 में तीन मध्यम एवं 42 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई। वर्ष 2005-06 में तीन वृहद परियोजनाएं जैसे बीसलपुर, माही बजाज सागर एवं रतनपुरा वितरिका तथा चवली मध्यम सिंचाई परियोजना व 35 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है एवं विभिन्न परियोजनाओं द्वारा 45,550 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है।

32. राज्य सरकार रावी व्यास एवं सतलुज नदी के जल के राजस्थान राज्य के निर्धारित हिस्से के अनुसार संबंधित राज्यों से जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके लिए राज्य विधान सभा द्वारा 1 जुलाई, 2004 को संकल्प पारित किया गया। इस सन्दर्भ में मुख्य मंत्री राज्य के समस्त सांसदों के साथ 2 दिसम्बर, 2004 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिली तथा राजस्थान के हितों की रक्षा हेतु उनका ध्यान आकर्षित किया। तत्संबंधी पत्राचार केन्द्र सरकार से लगातार जारी है।

33. माही परियोजना के कुल 80 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 68,450 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। परियोजना की आनंदपुरी जगपुरा व भूंगड़ा नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भीखाभाई सागवाड़ा नहर 0-8 कि.मी. तक का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा 20 कि.मी. तक के कार्य को पूर्ण करने के लिए 26.16 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृति जारी कर दी गई है। 446 करोड़ रुपये की गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत पंजाब राज्य में 98.6 कि.मी. में से 92.45 कि.मी. लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के पूर्ण होने पर 96,500 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

34. नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 74 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर में से 65.06 कि.मी. नहर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके माध्यम से जालोर एवं बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तथा 1107 गांवों एवं 2 कस्बों में पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

35. विश्व बैंक पो ि.त 'राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना' के ः ंत ं.त 91 नहर प्रणालियों के पुनरोद्धार का कार्य प्रगति पर है।

36. ल ..तार अनावृष्टि से पीड़ित गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बीकानेर जिलों में व ः 2001-02 एवं 2002-03 की 31 मार्च, 2003 तक सिंचाई कर (आबियाना) की बकाया लगभग 27 करोड़ रुपये माफ की गई है।

37. भू-जल के गिरते स्तर को देखते हुए जल संरक्षण कार्य हेतु अब तक 28 जिलों में वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1031 कार्य 74.42 करोड़ रुपये के स्वीकृत किये गये।

38. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल एवं सिद्धमुख नोहर परियोजना क्षेत्रों में 71,5, हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

39. व ः 2004-05 की कार्य योजना में 9 हजार अलाभान्वित और आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों एवं ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध 7 हजार 416 ग्रामों एवं ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 562 हैबीटेशन्स में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के ः ध्यम से 550 स्वजलधारा योजनाओं को पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर माह तक 506 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

40. फ्ल ोराइड से प्रभावित 190 ग्रामों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 160 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। 5 ि.ि.एम. से अधिक फ्लोराइड समस्या से ग्रस्त राज्य के 2643 ग्रामों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु आर.आई.एफ.एम.पी. फेज प्रथम हेतु 34.68 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

41. ि सलपुर-जयपुर परियोजना का एक भाग इस परियोजना में शामिल करने के लिए एशियन विकास बैंक से सहमति प्राप्त कर ली गई है।

42. राज्य के 6 प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं ः जमेर के विकास के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पो ि.त परियोज... की स्वीकृत राशि 1529 करोड़ रुपये से संशोधित कर 1775

करोड़ रुपये कर दी गई है। इस परियोजना में सिविल कार्य हेतु 1080.86 करोड़ रुपये की 198 निविदाएं प्रभावी रूप से आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिनमें से 952.14 करोड़ रुपये के 170 कार्यों के कार्यादेश जारी कर कार्य शुरू किये जा चुके हैं। इनमें से 40 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

43. नगरीय विकास एवं सौन्दर्यकरण के प्रति जन चेतना जाग्रत करने एवं विकास कार्यों में जनता की भागीदारी हेतु एक नई "शहरी जन सहभागी योजना" दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 को आरंभ की गई है। इस योजना में नगरपालिकाओं एवं राज्यांश के साथ-साथ जन सहयोग से वित्तीय संसाधन जुटा कर वांछित विकास कार्य करवाये जायेंगे। शहरी निकायों को आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना बनाने एवं वित्तीय साधन जुटाने हेतु राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स एण्ड डवलपमेन्ट कारपोरेशन का गठन किया जा चुका है।

44. 61 हजार 611 आवासीय शौचालयों एवं 1699 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

45. भारी वाहनों के यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए सीकर रोड पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जयपुर शहर में पार्किंग समस्या के निराकरण हेतु 18 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। ऐतिहासिक जलमहल का जीर्णोद्धार तथा विकास कार्य को भी हाथ में लिया गया। टोंक रोड पर चोखी ढाणी के समीप सीतापुरा पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण पूर्ण किया गया। टोंक रोड पर बंबाला पुलिया तथा गोपालपुरा बाईपास पर गंदे नाले एवं अमानीशाह नाले पर स्थित पुलियाओं को चौड़ा करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

46. विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों की लगभग 250 योजनाओं में आंतरिक विकास कार्य करवाये गये हैं एवं 155 गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में सीवर लाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिनमें से लगभग 100 योजनाओं में कार्य पूर्ण कर दिया गया।

47. राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य में हर गांव-ढाणी में शैक्षिक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा तथा दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। राज्य में वर्ष 2004-05 में 931 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को नियमित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 2445 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 401 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 207 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 2826 नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त मदरसों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की गई है। ऐसे केन्द्रों हेतु 2 हजार रुपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष तथा अध्ययन सामग्री की व्यवस्था हेतु 500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

48. राज्य के 32 जिलों में से 28 जिलों में 28 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाने हेतु वर्ष 2004-05 की शेष अवधि के लिए 4.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से प्रदान कर दी गई है।

49. राज्य में शैक्षिक सत्र 2004-05 से कक्षा 1 व 2 में अंग्रेजी विषय का शिक्षण प्रारंभ किया गया है।

50. निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष 224 निजी महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु भी नीति निर्धारित की गई है।

51. इस वर्ष झालावाड़ व बारां कन्या महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत किया गया है तथा 3 नवीन राजकीय महाविद्यालय क्रमशः खैरवाड़ा, झुंझुनूं, व थाना गाजी (अलवर) में आरंभ किये गये हैं।

52. दो संस्थाओं को निजी क्षेत्र में दन्त कालेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

53. राज्य के समस्त मेडिकल चिकित्सालयों में लगभग 20 करोड़ रुपये के उपकरण व मशीनें स्थापित कर आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

54. स्वास्थ्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश जारी किया जा चुका है।

55. निजी निवेश से 5 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 15 एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, 8 बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम तथा 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। प्रवेश की मांग के आधार पर 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय पारी संचालित की जा रही है।

56. राज्य में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता में कुल 7,220 प्रवेश स्थानों की वृद्धि आज तक किसी भी एक वर्ष में अर्जित अधिकतम उपलब्धि है। नये निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित होने से लगभग 160 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा तथा अनुमानित 6 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

57 .राज्य सरकार खिलाडियों के हितों के लिए प्रयासरत है। इस वर्ष खेल अध्यादेश, 2004 लागू कर राजस्थान ने देश का अग्रणी राज्य होने का गौरव हासिल किया है।

58. एथेन्स ओलम्पिक, 2004 में डबल ट्रेप राइफल शूटिंग स्पर्धा में राज्य के मेजर राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक प्राप्त करके राज्य को गौरवान्वित किया। राज्य सरकार ने उन्हें 11 लाख रुपये नकद एवं एक आवासीय मकान प्रदान कर सम्मानित किया। इसी कड़ी में एथेन्स में पैराओलम्पिक में राज्य के विकलांग एथलीट श्री देवेन्द्र झाझड़िया द्वारा भाला-फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य सरकार द्वारा 11 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया।

59. राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथेलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक व हाकी का एस्ट्रो-टर्फ

एवं अजमेर में हाकी एस्ट्रो-टर्फ का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। झालावाड़ में खेल संकुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

60. विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान के 32 जिलों में 472.58 करोड़ रुपये लागत की 'हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना' वर्ष 2004-05 में प्रारम्भ की गई है। इसके तहत 5 वर्षों में 238 द्वितीय स्तर के चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण कर प्रत्येक खण्ड में एक ऐसा चिकित्सा संस्थान तैयार किया जायेगा जिसमें 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवायें उपलब्ध हों।

61. राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके लिए इस वर्ष 96 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन कर उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

62. प्रदेश के पांच जिलों में टेली-कार्डियोलोजी परियोजना प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की योजना है। प्रथम चरण में 26 जिलों के चिकित्सालयों एवं 33 सामुदायिक केन्द्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के निर्णय की तुलना में 15 जिला चिकित्सालय एवं 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।

63. राज्य में 35 नये आयुर्वेद और 10 नये यूनानी औषधालय प्रारम्भ किये गये। साथ ही 5 'बी' श्रेणी के आयुर्वेद औषधालयों को 'ए' श्रेणी शैयायुक्त चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया।

64. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 33 हजार 936 पदों हेतु न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है।

65. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में नवम्बर, 2004

तक 175.30 करोड रुपये के व्यय से 173.92 लाख मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही इन गरीब परिवारों को मजदूरी के रूप में एक लाख 37 हजार 18 मैट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

66. काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2004 से जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही एवं करौली में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत उक्त जिलों को चालीस करोड़, चालीस लाख रुपये एवं 36 हजार 269 मैट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया है।

67. वर्षा की कमी को देखते हुए कम पानी की जरूरत वाली वाणिज्यिक महत्व की फसलें जैसे दलहन, तिलहन, बीज, मसालों, औषधीय पौधों व उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा, चारा उत्पादन, अन्य सहायक गतिविधियों को बढावा आदि को सम्मिलित करते हुए फसल विविधीकरण पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है।

68. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इस हेतु राज्य सरकार सजग है। इस वर्ष सन्तरा, जीरा, धनिया एवं प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गई। किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2004-05 में पायलट आधार पर झालावाड़, कोटा एवं बारां जिलों में सन्तरा एवं झालावाड़, बून्दी, कोटा एवं बारां में धनिये के लिए मौसम बीमा योजना लागू कर की गई है। खरीफ 2004 में चौदह फसलों को तथा रबी 2004-05 में आठ फसलों को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संसूचित किया गया है।

69. छीपाबड़ौद में लहसुन की अलग मण्डी स्थापित की जा चुकी है। इसी प्रकार अजमेर और पुष्कर में फूल मण्डी, सोजतसिटी में मेहन्दी की मण्डी, रामगंजमण्डी में धनिया मण्डी तथा भीनमाल व मेड़तासिटी को जीरा मण्डी के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तावित है। टर्मिनल मार्केट मुहाना फल-सब्जी मण्डी में निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष में इस मण्डी के विकास हेतु 21.50 करोड़ रुपये की

राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। दुकानों के भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।

70. राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष एक विशेष अभियान चला कर लगभग 5.15 लाख किसानों को सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये। राज्य में दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक का गठन किया गया है एवं हनुमानगढ़ बैंक के गठन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

71. इस वर्ष 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ 1460 करोड़ रुपयों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध काश्तकारों को अब तक 1500 करोड़ के फसली कर्जे वितरित किये गये हैं। सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वितरण हेतु 250 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर, 2004 तक 136.35 करोड़ के ऋण वितरित कर दिये गये हैं।

72. राज्य में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 235.27 करोड़ की कृषि उपज का विक्रय करवाकर किसानों को उचित मूल्य दिलाने का कार्य करते हुए लगभग 200 करोड़ रुपयों का प्रामाणिक कृषि आदान उपलब्ध करवाकर कृषि उत्पादन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

73 .सहकारी शताब्दी वर्ष पर 'नई सदी नया सहकार कार्यक्रम' चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सहकारिता के परम्परागत कार्य-क्षेत्र के साथ ही नई पहल कर 20 रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों का चयन किया गया तथा अब तक 528 समितियों का गठन किया जा चुका है।

74. सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादन आस्तियों को कम करने के लिए लागू एक मुश्त समाधान योजना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 6896 सदस्यों को 272 लाख रुपये, केन्द्रीय सहकारी बैंक के 556 सदस्यों को 212 लाख रुपये की एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा 4056 सदस्यों को 647 लाख रुपये की राहत दी गई है।

75. स्पिनफैड की गंगापुर एवं गुलाबपुरा इकाईयों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा 54.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई

है। इससे 4 माह से बंद गंगापुर एवं गुलाबपुरा की सहकारी कताई मिलों द्वारा 20 नवम्बर, 2004 से पुनः उत्पादन शुरू किया गया है। तीनों मिलें परिचालन लाभ में काम करने लगी हैं।

76. डेयरी क्षेत्र में राज्य ने सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा 19.08 लाख किलोग्राम दैनिक दुग्ध संकलन कर अपने 27 साल के दैनिक दुग्ध संकलन के सभी पुराने रिकार्ड तोड़ दिये गये। सरस घी की बिक्री के नये कीर्तिमान बनाये तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध की कीमत के रूप में 393 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो कि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों की सामूहिक सुरक्षा बीमा 'सरस सुरक्षा कवच' के तहत एक लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक सदस्यों का बीमा करवाया गया तथा राज्य में नई दुग्ध सहकारी समितियां खोलने के लिए प्रोत्साहन देने तथा मौजूदा समितियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फैडरेशन द्वारा 1.36 करोड़ रुपये का अनुदान पैकेज भी लागू किया।

77. गौ सेवा आयोग को एक करोड़ रुपये की सहायता गौशालाओं के विकास के लिए उपलब्ध करवाई गई।

78. प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए उठाये गये सकारात्मक कदमों से जहां औद्योगिक प्रगति का वातावरण बना वहीं चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2004 तक 6644 लघु एवं कुटीर उद्योगों का पंजीकरण एवं 136 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तावित पूंजी नियोजन तथा 62 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। इस अवधि में भारत सरकार से मध्यम एवं वृहद क्षेत्र के 83 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन प्राप्त हुए जिनमें 540 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर सृजन की संभावना है।

79. हस्तशिल्प एवं लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में प्रस्तावित 10 ग्रामीण हाट बाजारों में से भरतपुर, भीलवाड़ा एवं झुंझुनू में इनकी शुरुआत हो गई है।

80. जोधपुर के शहरी हाट का प्रथम चरण पूर्ण होने के साथ ही वहां दो हस्तशिल्प प्रदर्शनियों का आयोजन हो चुका है। जयपुर में इसके लिए भूमि प्राप्त कर भारत सरकार की स्वीकृति के बाद निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकेगी।

81. राज्य में कार्यरत लघु श्रेणी के उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित अपशिष्ट के उपचार हेतु उपचार संयंत्र जोधपुर एवं भिवाड़ी में प्रत्येक जगह एक-एक संयुक्त उपचार संयंत्र लगाये गये। इसके अतिरिक्त जसोल, बिठुजा एवं बालोतरा में संयुक्त उपचार संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

82. राज्य में 'माडल साल्ट फार्म' परियोजना लगभग पूर्ण होने को है तथा औद्योगिक, व्यापारिक तथा निर्यात नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

83. औद्योगिक विकास एवं रोजगार बढ़ाने के लिए रत्न-आभूषण का जयपुर के सीतापुरा में प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा बोरानाड़ा में दस्तकारी के विशेष आर्थिक जोन विकसित हो रहे हैं। अलवर के नीमराणा में तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जोधपुर में स्टोन टैक्नोलोजी पार्क तथा जयपुर के महल में अपेरल पार्क तथा श्रीगंगानगर, जोधपुर एवं कोटा में एग्रोफूड पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।

84. स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत अब तक 84 हजार 720 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा 40 हजार समूहों के लिए 4 करोड़ रुपये चक्रीय फण्ड के रूप में उपलब्ध करवाये गये थे, इसमें से 1 करोड़ 63 लाख रुपये की राशि स्वयं सहायता समूहों को वितरण के लिए जारी की जा चुकी है।

85. वर्तमान युग में पर्यटन का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पर्यटन आज आय व रोजगार के प्रमुख अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्रों में प्रमुख स्थान रखता है। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र न केवल देश में अपितु विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से जाना जाता है। राजस्थान सदियों से अपनी ऐतिहासिक धरोहर के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का सतत्

केन्द्र रहा है। स्वाभाविक रूप से राज्य में पर्यटन विकास की विपुल संभावनाएं हैं।

86. प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन की नई अवधारणा को विकसित कर, पर्यटन की आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये, राज्य के नैसर्गिक संसाधनों एवं विरासत को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन स्थलों के रख-रखाव एवं आधारभूत विकास हेतु ग्रामीण पर्यटन एवं आध्यात्मिक पर्यटन का विकास करने पर विशेष बल दिया जायेगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में मौलेला गांव (जिला राजसमन्द), सामोद गांव (जिला जयपुर) एवं नीमराणा गांव (जिला अलवर) में पर्यटन विकास की योजना प्रारम्भ की गई है। इसी प्रकार आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नये धार्मिक पर्यटन सर्किटों को चिन्हित कर एकीकृत योजना बनाई जा रही है।

87. राज्य में आने वाले पर्यटकों की निरन्तर बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुये राज्य पर्यटन विभाग ने हाड़ौती पर्यटन सर्किट का विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर्यटन सर्किट का विकास. नये सर्किटों के विकसित करने के प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये हैं।

88. देवालय भारतीय समाज के संस्कार केन्द्र हैं। देवस्थान विभाग को पर्यटन, कला एवं संस्कृति के साथ जोड़ा गया है तथा तीर्थाटन व देशाटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन, कला, संस्कृति विभाग के समन्वय से प्रयास किये जा रहे हैं।

89. 11वें वित्त आयोग से प्राप्त बजट से संरचनात्मक संरक्षण व जीर्णोद्धार कार्यों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण स्मारकों जैसे चरण मंदिर-नाहरगढ़, सूर्य मन्दिर-झालावाड़, गागरोन किला-झालावाड़, आमेर महल एवं बीकाजी की टेकरी-बीकानेर आदि में कार्य प्रगति पर है। किशौरी महल-भरतपुर, जंतर-मंतर-जयपुर, किराड़ू मंदिर-बाड़मेर, पटवों की हवेली-जैसलमेर आदि स्मारकों में संरक्षण के कार्य केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं।

90. राज्य के आर्थिक विकास में खनिजों एवं खनिज आधारित उद्योगों की विशे. भूमिका रही है। राज्य सरकार द्वारा खनिज नीति को रोज.ारोन्मुखी व अधिक व्यावहारिक बनाने हेतु संशोधित खनिज नीति तैयार की जा रही है।

91. वन क्षेत्र में नये खनन पट्टे आवंटन करने हेतु वन भूमि में खनिज क्षे: का अनारक्षण करने हेतु राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है जिससे वन भूमि के सीमा क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य खनिज भण्डारों का दोहन हो सकेगा। इससे ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रो में रोजगार के अवसर बढेंगे तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

92. राज्य के बाडमेर-सांचौर क्षेत्र में कच्चे तेल के विशाल भंडार तथा बीकानेर, नागौर क्षेत्र में हैवी क्रूड आयल के भंडार उपलब्ध हैं। अब तक 55 कुओं की खुदाई कर खनिज तेल के विशाल भंडार खोजे गये हैं, जिनमें तेल का व्यावसायिक उत्पादन 2005-06 से संभावित है। यह हर्ष की बात है कि दलीय सीमाओं को तोड़कर राजस्थान के हितों हेतु सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा राजस्थान मे रिफाइनरी तथा पैट्रोलियम लाभांश में 50 प्रतिशत हिस्से की मांग की गई है। इस हेतु राज्य सरकार भरसक प्र स कर रही है। यह खोज राजस्थान के विकास के नये द्वार खोलेगी।

33. बायो-टैक्नोलोजी का लाभ राज्य के जनसामान्य तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य बायो-टैक्नोलोजी नीति मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। इस क्षेत्र में 'बायो-टैक्नोलोजी एप्लीकेशन सेंटर' की स्थापना की जा रही है। जहां "Regeneration of Economically Important Plants of Rajasthan" पर कार्य किया जावेगा तथा बायो-टैक्नोलोजी की मूलभूत सुविधायें अनुसंधान करने के लिये उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। इस क्रम में ग्रीन हाउस एवं शेड हाउस की स्थापना की जा चुकी है। 'जैव [illegible]की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति' एव जिला स्तरीय जैव [illegible]की समन्वय समितियों का गठन इस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के [illegible] राज्य एवं जिला स्तर पर 'केन्द्रीय जैव अभियांत्रिकी समिति' के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु किया जा चुका है।

94. सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व विकास की योजनाएं बनाने हेतु विभिन्न विभागों के उपयोग हेतु संसाधनों के डेटा बेस तैयार किये जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अभिनव हैं। इनमें वाटर शैड एटलस, ग्राउण्ड वाटर एटलस, रिसोर्स एटलस, पंचायत समितिवार वाटर हार्वेस्टिंग मास्टर प्लान, लिफ्ट इर्रिगेशन साइट मास्टर प्लान, रेवाइन क्षेत्र सीमांकन प्रमुख हैं।

95. ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से दिनांक 27 नवम्बर, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक चलाये जाने वाले "प्रशासन आपके द्वार" अभियान पंचायत चुनाव की घोषणा होने के कारण, 29 दिसम्बर, 2004 तक ही चालू रखा जा सका। इस अभियान में राजस्व विभाग के अतिरिक्त 7 अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्यों को निपटाया गया। अभियान में किये गये मुख्य-मुख्य कार्यों में यथा 2 लाख 50 हजार नामान्तरण तस्दीक 9 हजार 87 हैक्टेयर कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन, 1 लाख 82 हजार कृषि पास बुक वितरण, 1 लाख 68 हजार राजस्व रिकार्ड की नकल जारी, 7 लाख 2 हजार जाति प्रमाण पत्र जारी, 5 लाख 94 हजार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी तथा 53 हजार 105 बी.पी.एल. परिवारों के आवासीय पट्टे जारी किये गये। शेष रहे शिविरों का आयोजन बाद में किया जायेगा।

96. महिलाओं तथा विधवा महिलाओं के नाम कृषि जोतों के पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है। राज्य की शहरी एवं ग्रामीण जनता को "लोक-मित्र" व "जन-मित्र" योजनाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग रूप से उपलब्ध समस्त राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों से संबंधित सेवायें (बिजली, पानी, टेलीफोन व मोबाइल के बिलों का एकत्रीकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आदि) अब एकीकृत रूप से "ई-मित्र" के माध्यम से उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। "ई-मित्र" सेवायें आम जनता को इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध करवायी जायेंगी। प्रथम चरण मे छः सम्भागीय मुख्यालयों और झालावाड़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में "लोक-मित्र" एवं "जन-मित्र" सेवाएं देने वाले केन्द्र खोले जा रहे हैं।

इस हेतु कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अभी तक जयपुर में 9, उदयपुर एवं बीकानेर में एक-एक "लोक-मित्र" केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये हैं। झालावाड़ जिले में "जन-मित्र" केन्द्रों पर "लोक-मित्र" केन्द्र की सेवायें प्रारम्भ कर दी गई हैं। ई-मित्र परियोजना द्वारा राज्य में इस वर्ष लगभग 2000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

97. राज्य सरकार में ई-गवर्नेन्स तंत्र को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य व्यापी तंत्र-RSWAN, सचिवालय नेटवर्क-SecLAN तथा राज्य स्तरीय सूचना डाटा केन्द्र-State Data Centre-SDC स्थापित किये जा रहे हैं। RSWAN प्रशासन के हर स्तर पर सूचना पथ प्रदान करेगा। SecLAN राज्य सचिवालय में स्थित विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों एवं अनेक उपयोगकर्ता को नेटवर्क द्वारा जोड़ेगा तथा SDC द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं का साझा उपयोग संभव हो सकेगा। ये समस्त परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं।

98. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण कर ई-प्रशासन हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, राजस्व-सृजन आदि आमजन को प्रभावित करने वाले समस्त क्षेत्रों में परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

99. राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु "Knowledge Corrdor" व "Knowledge Park" की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

100. राज्य के समस्त भू-राजस्व खातेदारों के भू-राजस्व रेकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करते हुए समस्त 241 तहसीलों में "अपना खाता केन्द्र" आरंभ करते हुए उनकी मांग पर जमाबन्दी की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि देने हेतु आपरेशन किया जा चुका है। काश्तकार द्वारा अपने खाते की कम्प्यूटरीकृत नकलें ग्रामदूत या जनमित्र के कियोस्क के माध्यम से प्रतिलिपि देये जाने का प्रावधान कर दिया गया है।

101. पंचायतीराज संस्थाओं को ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में रू. 173 करोड़ 76 लाख की राशि आवंटित की गई है। पंचायतीराज संस्थाओं के व्यावहारिक रूप से सशक्तिकरण के लिए एक मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया है जिसकी अभिशंसा शीघ्र प्राप्त होने वाली है।

102. ग्राम पंचायत स्तर पर "मिनी सचिवालय" की अवधारणा लागू करने हेतु सभी जिलों की प्रत्येक पंचायत समिति में एक पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के लेखों व अन्य गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण तथा पंचायतीराज संस्थाओं के मध्य Inter-connectivity स्थापित की जायेगी।

103. राज्य के पुलिस प्रशासन के समक्ष उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2004 में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति काबू में रही तथा साम्प्रदायिक सदभाव कायम रहा।

104. भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली क्षेत्र में डकैती, लूट, हत्या एवं अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त दस इनामी डकैतों सहित 54 डकैतों को गिरफ्तार किया गया। गंगानगर, कोटा तथा हनुमानगढ़ जिलों में पुलिस द्वारा जाली नोटों के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों को पकड़कर जाली नोटों की बरामदगी की गई। कारों, मोटरसाइकिलों तथा स्कूटरों की चोरी एवं चेन छीनने की वारदातों में लिप्त कई अन्तरराज्यीय गिराहों को गिरफ्तार किया गया।

105. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में 42.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।

106. जयपुर शहर के पुलिस थानों में इन्टरनेट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था की जा रही है। पासपोर्ट जारी करने हेतु पुलिस जांच तथा हथियारों के लाइसेंस संबंधी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

107. इस वर्ष सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि पुलिस तथा जनसाधारण के बीच परस्पर विश्वास का माहौल बने तथा आम जनता

में पुलिस तंत्र के प्रति "जन आस्था अर्जन वर्ष" के रूप में अपना लक्ष्य दृष्टि में रखें। माह दिसम्बर में पूरे राज्य में पुलिस द्वारा जनता पुलिस सहभागिता कार्यक्रम चलाया गया। इसी क्रम में राज्य तथा जिला स्तर पर पुलिस समुदाय सहभागिता समितियां गठित करने तथा प्रत्येक जिले में एक "मॉडल थाना" बनाने का कार्य भी योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

108. गत वर्ष खुले बन्दी शिविरों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 हो गयी है। जेल सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 मे 13 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर, बूंदी एवं बांदीकुई में जेल भवन निर्माणाधीन हैं।

109. राज्य के 500 से अधिक उत्कृष्ट करदाता व्यापारियों को "गोल्ड कार्ड" प्रदान करके सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्व–कर निर्धारण योजना, 2004 लागू की गई है।

110. सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज का संतुलित विकास तभी हो पायेगा जब समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना लागू की गई है।

111. नि:शक्त (विकलांग) व्यक्तियों के लिए स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 'विश्वास स्वरोजगार सहायता योजना' तथा नि:शक्त निर्धन परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों को दी जाने वाली समान सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए आस्था योजना लागू की गई है।

112. राज्य सरकार वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने पुष्कर एवं टोंक में वृद्ध एवं अशक्त गृह खोल रखें हैं। वृद्धजनों को समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य वृद्धजन नीति बनाई गई है।

113. राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड-डे-मील) के अन्तर्गत राज्य के सभी राजकीय और अनुदानित विद्यालयों तथा पाठशालाओं और शिक्षा

केन्द्रों में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत 76,62,192 विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है। भोजन में विविधता लाने हेतु सप्ताह में तीन दिन पका हुआ भोजन (दाल-रोटी, सब्जी-रोटी, चावल आदि) उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। सप्ताह के शेष दिन पूर्व की व्यवस्था (घूघरी/दलिया आदि) यथावत रहेगी। आगामी वर्ष में इस योजना हेतु 255 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

114. राज्य में बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से 257 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 32 लाख 79 हजार बच्चों, गर्भवती स्त्रियों एवं धात्री माताओं को प्रतिमाह पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक माह में एक निश्चित दिवस को पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मनाने के लिए ग्राम स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार किये गये हैं। 6 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा गया है। अति कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन के लिए यूनिसेफ के सहयोग से कार्य योजना तैयार की गई है। 20 हजार से अधिक सहयोगिनियों का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जा चुका है। लगभग 12 हजार सहयोगिनियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

115. राज्य में 567 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में क्रमोन्नत किया जा चुका है। एक हजार 138 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मातृ समितियों का गठन जन सहयोग बढ़ाने हेतु किया गया है। राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तथा उदयपुर जिले की झाडोल एवं कोटड़ा पंचायत समितियों में अकाल एवं सूखे की स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में उपलब्ध सभी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार वितरण प्रारंभ हो गया है। इसके लिए 1.22 करोड़ रुपये की राशि सहायता विभाग द्वारा आपदा राहत कोष से उपलब्ध करवाई गई है। लगभग 60 हजार अतिरिक्त बच्चे इस विशेष प्रयास से लाभान्वित हो सकेंगे।

116. ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए 500 आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिशु पालना केन्द्रों की स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें से 399 केन्द्रों पर क्रेच के संचालन हेतु परिचायिका एवं धाय मां का चयन पूर्ण किया जा चुका है। शेष 101 केन्द्रों के लिए चयन कार्य प्रक्रियाधीन है। भीलवाड़ा जिले में शिशु पालना केन्द्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है।

117. बारां जिले के सहरिया जनजाति में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने हेतु सभी जन समुदाय के स्कूलों एवं आंबनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व दिये जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है। इसी प्रकार जनजाति क्षेत्र एवं मरू क्षेत्र यथा बाड़मेर-जैसलमेर तथा अन्य मरू जिलों के दूरस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सा की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए संजीवनी योजना के अन्तर्गत अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

118. राज्य के नियमित टीकाकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य भर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवसों का प्रत्येक गुरूवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजन किया जा रहा है।

119. सेना मुख्यालय एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 3 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में 'युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र' का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 31 मार्च, 1999 से पूर्व (प्री-कारगिल) विभिन्न युद्धों व काउन्टर इन्सरजेन्सी आपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी तथा शहीदों के शिक्षारत बच्चों को कारगिल पैकेज की भांति शैक्षणिक सुविधा देने का प्रावधान किया गया है जिसमें नि:शुल्क शिक्षा के साथ-साथ छात्रवृत्ति स्कूल स्तर पर 1800 रुपये तथा कालेज स्तर पर 3600 रुपये सालाना का प्रावधान है। राज्य के 3038 पूर्व सैनिकों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में प्रत्येक को 25 बीघा सिंचित भूमि का आवंटन कराया गया।

120. भेड़ों की बीमा हेतु अविका कवच योजना घोषित की गई जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख भेड़ों की बीमा के लिए रू. 20 लाख का अनुदान दिया जाना सम्भावित है। इसी प्रकार भेड़पालकों की बीमा के लिए अविकापाल जीवन-रक्षक योजना तथा दुर्घटना बीमा के लिए अविरक्षक योजना घोषित की गई। दुर्घटना बीमा योजना में प्राकृतिक मृत्यु पर 20 हजार रुपये, दुर्घटना व पूर्ण विकलांगता पर 50 हजार रुपये एवं आंशिक विकलांगता पर 25 हजार रुपये का मुआवजा देय होगा।

121. माननीय सदस्यगण इस सत्र में निम्न नवीन विधेयक विधान सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे :-

1. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2004
2. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2004
3. राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2004

122. राजस्थान के विकास में विकट भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित जल संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद राज्य विकास पथ पर तेजी से बढ़ने की ओर अग्रसर है। राज्य को प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए मैं आप सभी सदस्यगणों से आह्वान करती हूं कि हम सब दलगत नीति से ऊपर उठकर राज्य हित में मिलजुल कर कार्य करें। सरकार के प्रयासों से अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें एवं अनिवासी भारतीय भी राज्य में निवेश के लिए इच्छुक हुए हैं। इससे राज्य में विकास का माहौल बन रहा है। हमें प्रबल इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है।

123. अन्त में मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिये गीता मे दिये गये भगवान श्री कृष्ण के अमर उपदेश को उदघृत करना चाहूंगी :-

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः

अनने प्रसविष्य ध्वमेष वोडस्त्विवकामधुक्

देवान्यावयतानेन ते देवा भवयन्तु वः

परस्परं भवयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ

अर्थात् प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना कर उनसे कहा तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सब की वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य द्वारा तुम्हें उन्नत करें इस प्रकार परस्पर उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होंगे।

जयहिन्द।

सदस्य सूची

गुरुवार, 3 फरवरी, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

अमर सिंह चौधरी श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, गुजरात	6
अमृत लाल गहलोत श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	17
अमृत लाल परमार श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	15
उमराव सिंह गुर्जर श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	14
उम्मेदीलाल जाटव श्री, पूर्व सदस्य. राज. विधान सभा	12
कुबेर सिंह श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	10
गंगासहाय श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	13
डा. चन्द्रकला, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	17
नानूराम कंकरालिया श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	11
नीलमणी राउतराय श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, उड़ीसा	6
नृपेन चक्रवर्ती श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, त्रिपुरा	8
पंकज पंचौली श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	12
पी. वी. नरसिंह राव श्री, पूर्व प्रधानमंत्री	3
मधु दाधीच श्रीमती, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	11
माणक चन्द सोगाणी श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	16
मीठालाल मीणा श्री, पूर्व सांसद एवं सदस्य, राज. विधान सभा	15
रमजान खां श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	10
रामसिंह विश्नोई श्री, पूर्व मंत्री एवं सदस्य, राज. विधान सभा	9
सईद पीर कासिम श्री, पूर्व मुख्य मंत्री. जम्मू एवं कश्मीर	7
सुनामी से मारे गये लोग	18

नाम	पृष्ठ संख्या
हरसहाय मीणा श्री, पूर्व सदस्य, राज. विधान सभा	15
हीरालाल देवपुरा श्री, पूर्व मुख्य मंत्री	5
सदन की कार्यवाही	
-राष्ट्र गीत	1
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अध्यादेश	
-राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004	2
-राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2004	2
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2004	3
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अध्यादेश	
-राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2004	3
श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अध्यादेश	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अध्यादेश, 2004	3
श्री सचिव	
अभिभाषण	
-राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति	1
राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक	
राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004	2
राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004	2
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	2

नाम	पृष्ठ संख्या
राजस्थान राज्य सड़क निधि विधेयक, 2004	2
राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004	2
राजस्थान वित्त विधेयक, 2004	2
राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004	2
राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004	2
राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004	2
राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004	2